कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 10

कोयला मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	बजट 2002-2003 आयोजना-भिन्न	बजट 2002-2003 जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	संशोधित 2002-2003 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2002-2003 जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	बजट 2003-2004 आयोजना-भिन्न	बजट 2003-2004 जोड़
राजस्व		311.52	152.52	464.04	194.09	122.52	316.61	285.90	152.00	437.90
पूंजी		*15.48*	*...*	*15.48*	*12.91*	*...*	*12.91*	...	...	...
जोड़		**327.00**	**152.52**	**479.52**	**207.00**	**122.52**	**329.52**	**285.90**	**152.00**	**437.90**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.52	6.52	...	5.71	5.71	...	6.28	6.28
श्रम और रोजगार										
कोयला खान श्रमिक कल्याण										
2. कोयला खान पेंशन योजना/जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	2230	...	30.61	30.61	...	28.37	28.37	...	28.23	28.23
कोयला और लिग्नाइट										
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	...	72.90	72.90	...	60.96	60.96	...	64.00	64.00
4. कोयला खान क्षेत्रों में यातायात आधारमूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	...	40.00	40.00	...	25.05	25.05	...	50.94	50.94
5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान की स्कीम	2803	206.00	...	206.00	107.02	...	107.02	138.44	...	138.44
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	7.55	...	7.55	9.50	...	9.50	22.48	...	22.48
7. क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	49.19	...	49.19	44.27	...	44.27	56.10	...	56.10
8. व्यापक ड्रिलिंग	2803	13.92	...	13.92	12.53	...	12.53	12.52	...	12.52
9. पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण	2803	34.65	...	34.65	20.56	...	20.56	27.56	...	27.56
10. कोयला नियंत्रक	2803	0.21	2.22	2.43	0.21	2.16	2.37	0.21	2.27	2.48
11. भुगतान आयुक्त	2803	...	0.27	0.27	...	0.27	0.27	...	0.28	0.28
जोड़-कोयला और लिग्नाइट		**311.52**	**115.39**	**426.91**	**194.09**	**88.44**	**282.53**	**257.31**	**117.49**	**374.80**
12. सरकारी उद्यमो में निवेश	6803	15.48	...	15.48	12.91	...	12.91	...	...	...
13. *कोयला पूरित क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय*										
13.01 कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	...	84.00	84.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
13.02 घटाइए- कोयला पूरित क्षेत्र अधिग्रहण से पूरा किया गया व्यय	4803	...	-84.00	-84.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	28.59	...	28.59
कुल जोड़		***327.00***	***152.52***	***479.52***	***207.00***	***122.52***	***329.52***	***285.90***	***152.00***	***437.90***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
12.01 नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	12801	...	292.72	292.72	...	318.61	318.61	...	278.45	278.45
	12803	...	292.23	292.23	...	298.99	298.99	...	176.95	176.95
	जोड़	*...*	*584.95*	*584.95*	*...*	*617.60*	*617.60*	*...*	*455.40*	*455.40*
12.02 कोल इण्डिया लिमिटेड	12803	15.48	2174.52	2190.00	12.91	1692.61	1705.52	...	2240.00	2240.00
12.03 सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	12803	...	405.00	405.00	...	227.00	227.00	...	340.00	340.00
जोड़		**15.48**	**3164.47**	**3179.95**	**12.91**	**2537.21**	**2550.12**	**...**	**3035.40**	**3035.40**

ग. आयोजना परिव्यय										
1. विद्युत	12801	...	292.72	292.72	...	318.61	318.61	...	278.45	278.45
2. कोयला और लिग्नाइट	12803	327.00	2871.75	3198.75	207.00	2218.60	2425.60	285.90	2756.95	3042.85
जोड़		**327.00**	**3164.47**	**3491.47**	**207.00**	**2537.21**	**2744.21**	**285.90**	**3035.40**	**3321.30**

सं.10 / कोयला विभाग

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं** : इसमें कोयला मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **कोयला खान पेंशन योजना/जमा सम्बद्ध-बीमा योजना को अंशदानः** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू की गई। इस योजना के लिए निधियों का वित्तपोषण कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1.1/6% के अंशदान द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार भी 1600 रुपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा के अधीन कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.2/3% की दर पर अंशदान करती है। योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। कोयला खनिकों के लिए जमा से संबद्ध बीमा योजना के लिए भी व्यवस्था की जाती है।

3. **कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा** : इसमें भंडारण और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग कोयले पर 3.50 रुपए प्रति टन और कोकिंग कोयले पर 4.25 रुपए प्रति टन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है।

4. **कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहणों से पूर्ति)**: इसमें कोयला खान क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए व्यवस्था है। यह व्यवस्था (ऊपर क्रम संख्या 3 में उल्लिखित कोयले पर उत्पाद शुल्क) एकत्रित उपकर में से की जाती है।

5. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदानः** कोल इंडिया लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियों अर्थात् ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

6. **अनुसंधान और विकास कार्यक्रमः** कोयला उद्योग में प्रत्याशित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है।

7. **क्षेत्रीय अन्वेषण** : इसमें कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला और लिग्नाइट के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

8. **व्यापक ड्रिलिंगः** कोल इंडिया लिमिटेड-भिन्न कोयला खनन प्रखंडों में विस्तृत तलवेधन हेतु प्रावधान किया गया है ताकि उत्पन्न भूगर्भीय रिपोर्टें भावी निवेशको में कोयला खनन प्रखंडों में निवेश करने के निर्णय लेने और खनन योजना की तैयारी करने में समय की कटौती में सहायता कर सकती है। इस उपाय से कोयला खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

9. **पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण** : इसमें कोयला खान क्षेत्रों में भूमि सुधार और अवतलन नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपाय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

10. **कोयला नियंत्रक** : कोयला नियंत्रक के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए प्रावधान है।

11. **भुगतान आयुक्तः** भुगतान आयुक्त के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए व्यवस्था है।

12. **सरकारी उद्यमों में निवेश** :

12.01 **नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.**: एन.एल.सी. की गतिविधियों के अन्तर्गत लिग्नाइट का खनन, विद्युत उत्पादन और लिग्नाइट को धूम्ररहित ईंधन में परिवर्तित करने और यूरिया का उत्पादन करने का कार्य शामिल है। तथापि, बजट अनुमान (2003-2004) में एनएलसी के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

12.02 **कोल इण्डिया लि.**: कोल इण्डिया लि. कोयले के उत्पादन एवं वितरण, नई कोयला खानों के आयोजन एवं विकास, कोयला संसाधनों के संरक्षण और कोयले से संबंधित अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तथापि बजट अनुमान (2003-2004) में सीआईएल के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

12.03 **सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड** : सिंगरेनी कोलियरीज कपनी लि. आंध्रप्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उपक्रम कंपनी है जिसमें राज्य सरकार का अधिक हिस्सा है। यह कपनी आंध्रप्रदेश की कोयला खानों का प्रबंध करती है। तथापि, बजट अनुमान (2003-2004) में एससीसीएल के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

14. **पूर्वोत्तर-हेतु एकमुश्त प्रावधानः** पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ब.अ.(2003-04) में 28.59 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।